

370

478

आलय श्रीमान् म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म०प्र०)

III/निगा०/भूमि/भू०सं०/2018/01806



1. अखिलेश प्रसाद
2. विनय प्रसाद दोनो के पिता महेश प्रसाद ब्रा० निवासी ग्राम चचाई टोला कुइंया तहसील सेमरिया जिला रीवा (म०प्र०)

अध्य० श्री अमृत चतुर्वेदी
द्वारा देखा 15-3-18

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

बनाम

-----आवेदकगण

1. बीरेन्द्र प्रसाद तिवारी तनय भुवनेश्वर प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम चचाई टोला कुइंया तहसील सेमरिया जिला रीवा (म०प्र०)

2. म०प्र० शासन -----अनावेदकगण

निगरानी बिच्छु आदेश व कार्यवाही राजस्व निरीक्षक बृत्त शाहपुर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक-28अ-12/2017-18 आदेश दिनांक 29/1/2018 बाबत् भूमि खसरा क्रमांक-702/1क स्थित ग्राम चचाई तहसील सेमरिया जिला रीवा (म०प्र०)

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू०संहिता सन् 1959ई०।

मान्यवर,


370

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक 1/निग0/रीवा/भू-रा0/2018/1806

जिला-रीवा

अखिलेश प्रसाद वगैरः/वीरेन्द्र प्रसाद तिवारी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अभिताब चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील सेमरिया का प्रकरण क्रमांक 28/अ-12/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 24.1.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर को भेजा जा रहा है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> (बी.एम.शर्मा), सदस्य</p>	